भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/07/118/2021/एफ0सी0/754 दिनॉक: 09.12.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Rail/41878/2019

विषयः पूर्वोत्तर रेलवे औडिहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलव ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर(किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–1700/11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक–15.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शासन के पत्रांक पी–67/81–2–2021–800(54)/2021, लखनऊ, दिनांक–22.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 20.10.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है, इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम, केस प्रशमित करने सम्बन्धित प्रमाणपत्र एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेख आदि उपलब्ध कराये गये हैं। किन्तु प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किस अधिकारी के आदेशों से हुआ है, इसकी जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जिसके आदेशों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है, के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेख प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3ए एवं 3बी के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके।

भवदीया,

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर।
4. अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0/उत्तर रेलवे वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

09.12.2022
(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1979 /11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 12 ,2022

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।